भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4474

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा

4474. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने जिलों को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु निधि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किस प्रकार ठीक किया गया है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भू-स्वामियों को मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो विशेषकर उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने भू-स्वामियों को अभी भी मुआवजा मिलना शेष है और भुगतान हेतु कितनी राशि लंबित है;

(ङ) मुआवजे के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) क्या मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) महाराष्ट्र के दाराशिव जिले सहित कुल 20 जिलों को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की विभिन्न खंडों, जैसा भी लागू हो, के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बाद किया जाता है।

(ग) उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1959.27 करोड़ रुपये के मुआवजे में से 694.30 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी पहले ही की जा चुकी है।

(घ) उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,332 भू-स्वामियों को 1264.97 करोड़ रुपये का मुआवजा अभी भी संवितरित किया जाना है।

(ङ) संवितरण में देरी अधिग्रहित निजी भूमि के भूमि अभिलेखों में अस्पष्टता और वास्तविक स्वामित्व से संबंधित विवादों के साथ-साथ चल रहे मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण है।

(च) भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) भू-स्वामियों को मुआवज़ा संवितरित करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने भूमिराशि पोर्टल विकसित किया है, जो लाभार्थियों के खातों में मुआवज़ा राशि को सीधे जमा करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, संवितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित सीएएलए के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

*****